कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
(Swami Keshwanand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
Phone : 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

क्रमांकः कृ.अनु.के. / गंगा / क्षेनिअ / 2024 / 1186-91 **दिनांक :** 8/10/2024

फलदार पेड़ो की नीलामी सूचना

समस्त इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है, कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, करणी मार्ग, श्रीगंगानगर पर स्थित खेत न0 33,34,35,36,37 मे बूंद– बूंद सिंचाई पर आधारित विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ो किन्नौ 944, सन्तरा 81, माल्टा 15, डैजी 13, ग्रेपफ्रूट 05, और नीम्बू 19 के फलों की खुली बोली के द्वारा दिनांक 18.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे कृषि अनुसंधान केन्द्र परिसर मे नीलामी की कि जायेगी। बोली से पूर्व रूपये 10000.00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप मे नगद जमा करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को बोली के तुरन्त बाद बोली की कुल राशि का 25 प्रतिशत मौके पर जमा करवाने होंगे। किन्ही अपरिहार्य कारणों या उचित बोली प्राप्त नहीं होने पर निरस्त की गयी बोली आगामी दिनांक 19.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी। बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा। शेष शर्ते मौके पर सुना दी जायेगी।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. श्रीमान प्रबंधक राजस्थान संवाद, सचिवालय केम्पस जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना एक राज्य स्तर (गंगानगर एडीशन) तथा एक क्षेत्रीय स्तर (श्रीगंगानगर) के अखबार मे प्रकाशित करवाने का श्रम करें। भुगतान के लिये बिल तथा अखबार की दो प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने को श्रम करें।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिनाक व समय पर अपना प्रतिनिधी भिजवाने की कृपा करे।
3. श्रीमान निदेशक अनुसंधान / कोषाधिकारी, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. श्रीमान प्रभारी सिमका, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. श्रीमान चेयरमैन डिस्पोजल कमेटी / प्रभारी उधान / फार्म ईन्चार्ज / बी.सी / रोकड़िया / लेखाशाखा / स्टोर / रक्षित पत्रावली कृ.अनु. केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय), श्रीगंगानगर
<u>नीलामी की शर्ते</u>

केन्द्र के उधान विभाग द्वारा उत्पादित फलदार पौधों के फलों की खुली बोली द्वारा दिनांक 18.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे केन्द्र परिसर में नीलाम किया जाना है। जिसकी शर्ते निम्न प्रकार से है। किन्ही अपरिहार्य करणों या उचित बोली प्राप्त नही होने पर निरस्त की गयी बोली आगामी दिनांक 19.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे की जायेगी ।

नीलामी आम ठेकेदारान के सम्मुख फार्म डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों द्वारा करवाई जायेगी।

1. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व नीलामी अधिकारी को धरोहर राशि के रूप में 10000.00 रूपये जमा करवानी होगी, बिना धरोहर राशि के कोई बोली नही लगा सकेगा।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले ठेकेदार के नाम से बोली छोडने पर बोली राशि का 25 प्रतिशत मौके पर 25 प्रतिशत एक महीने व शेष राशि फल तोड़ने से पूर्व जमा करवानी होगी।
3. ठेकेदार या उसका नामजद कर्मचारी फार्म पर पूर्णतयाः अनुशासनबद्व में रहेगा व नीलाम किये गये फलों के अतिरिक्त विश्वविधालय की किसी भी प्रकार की सम्पति को क्षति नही पहुँचायेगा तथा बाग के अन्दर वाहन इत्यादि का प्रवेश वर्जित होगा ।
4. नीलामी अवधि बोली की तिथि से 31 जनवरी 2025 अथवा फल पकने व टुटने पर जो भी पहले होगी मान्य होगी।
5. किसी प्रकार का विवाद या झगडा होने पर क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर का फैसला अन्तिम एव सर्व मान्य होगा ।
6. किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा एवं प्रकोप के लिए नीलामी छोडने के पश्चात विभाग कोई जिम्मेदार नही होगी। नीलामी के पश्चात विभाग आवश्यकतानुसार मात्र सिचाई एवं पौध संरक्षक दवाओं का छिडकाव करवायेगा। फलों की देखभाल की जिमेदारी ठेकेदार की होगी।
7. उच्चतम बोलीदाता को 50/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध भरना होगा।
8. नीलामी छोड़ने या नहीं छोड़ने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के अधिकार क्षेत्र में रहेगा ।
9. फल तुड़वाई के दौरान कम से कम डंठल फल के साथ रखकर तोड़े। पत्ते व लम्बी डंठल को न तोड़े।
10. खेत नं. 33,34,35,36,37 में 944 किन्नों व 15 माल्टा, 81 सन्तरा, इसके अलावा 05 ग्रेपफ्रूट, 19 नीम्बू ,13 डेजी के फलदार पौधे जो बून्द बून्द सिंचाई पर आधारित है ।
11. नीलाम किये फलवृक्ष के फलों के अलावा अन्य फलों को नुकसान नही पहुँचायेगा अगर नुकसान पहुँचता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
12. बाग में फलों की तुड़ाई से पूर्व प्रभारी उद्यान को दो दिन पहले सूचित करना होगा ।
13. फल पकाव की अवस्था पर एंव तुड़ाई उपरान्त गिरे हुऐ अथवा अनुपयोगी फलों को बाग से बाहर मिट्टी में दबाना होगा ।
14. प्रायोगिक कार्यो से सम्बन्धित आकड़ें लेने हेतु अंकित किये गये खेत न0 35,36,37 मे किन्नों के पेड़ो से 150 किलोग्राम व सन्तरा 30 किलोग्राम फल केन्द्र के लिए छोडने होगें।
15. जो व्यक्ति सरकारी संस्थान में हो वह व्यक्ति बोली नही लगा सकता है न ही बोली में शामिल हो सकता है।
16. अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति न तो बोली लगा सकता है न ही बोली में शामिल हो सकता है।
17. किसी भी सरकारी /गैर सरकारी संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट किया हुआ व्यक्ति न तो बोली लगा सकता है न ही बोली में शामिल हो सकता है ।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान